

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक: प.8(27)राज/वाद/24पार्ट-II

जयपुर, दिनांक 24/7/2026

:: आदेश ::

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 18(दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 24) व राजस्थान लॉ एण्ड लीगल अफेयर्स डिपार्टमेन्ट मैनुअल 1999 के नियम 15(2), 16 एवं 17 के अन्तर्गत श्री रमेश चन्द जाजौरिया, अधिवक्ता (एनरोलमेन्ट नं0 आर/1113/1997) को जिला एवं सेशन न्यायालय, जयपुर महानगर-द्वितीय में राज्य सरकार की ओर से पैरवी करने हेतु लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, जयपुर महानगर-द्वितीय के रिक्त पद पर मासिक रिटेनरशिप रुपये 24,200/- प्रतिमाह (निश्चित) पर एक वर्ष या अग्रिम आदेश तक, जो भी पहले हो तक, के लिए एतद्वारा नियुक्त किया जाता है।

आज्ञा से



(प्रमोद कुमार मलिक)
शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
- 2 संयुक्त सचिव (एसएस), मुख्यमंत्री कार्यालय।
- 3 विशिष्ट सहायक, माननीय विधि मंत्री महोदय।
- 4 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, विधि।
- 5 महाधिवक्ता, राजस्थान, जयपुर।
- 6 राजकीय अधिवक्ता मय अतिरिक्त महाधिवक्ता, जयपुर/जोधपुर।
- 7 संबंधित जिला एवं सेशन न्यायाधीश।
- 8 संबंधित न्यायालय।
- 9 संबंधित जिला कलक्टर।
- 10 संबंधित कोषाधिकारी।
- 11 संबंधित अभियोजक।
- 12 सहायक लेखाधिकारी, प्रथम, विधि(वादकरण) विभाग।
- ✓ 13 एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, विधि विभाग को वेबसाइट पर अपलोड हेतु।
- 14 रक्षित पत्रावली।



(प्रमोद कुमार मलिक)
शासन सचिव, विधि

**राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)**

क्रमांक: प.8(27)राज/वाद/24 पार्ट-II

जयपुर, दिनांक : 24/7/2026

:: आदेश ::

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 18(दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 24) व राजस्थान लॉ एण्ड लीगल अफेयर्स डिपार्टमेंट मैनुअल 1999 के नियम 15(2), 16 एवं 17 के अन्तर्गत श्री कृष्ण खण्डेलवाल, अधिवक्ता (एनरोलमेंट नं0 आर/1765/2000) को अपर जिला एवं सेशन न्यायालय, संख्या 5, जयपुर महानगर-द्वितीय में राज्य सरकार की ओर से पैरवी करने हेतु अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, संख्या संख्या 5, जयपुर महानगर-द्वितीय के रिक्त पद पर मासिक रिटेनरशिप रुपये 21,200/- प्रतिमाह (निश्चित) पर एक वर्ष या अग्रिम आदेश तक, जो भी पहले हो तक, के लिए एतद्वारा नियुक्त किया जाता है।

नोट:- उक्त अधिवक्ता की नियुक्ति माननीय राज0 उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ, जयपुर में विचाराधीन एस0बी0सिविल रिट पिटीशन सं0 10916/2025 कमल किशोर मीणा बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अध्यक्षीन रहेगी।

आज्ञा से

ह0

(प्रमोद कुमार मलिक)
शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
- 2 संयुक्त सचिव (एसएस), मुख्यमंत्री कार्यालय।
- 3 विशिष्ट सहायक, माननीय विधि मंत्री महोदय।
- 4 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, विधि।
- 5 महाधिवक्ता, राजस्थान, जयपुर।
- 6 राजकीय अधिवक्ता मय अतिरिक्त महाधिवक्ता, जयपुर/जोधपुर।
- 7 संबंधित जिला एवं सेशन न्यायाधीश।
- 8 संबंधित न्यायालय।
- 9 संबंधित जिला कलक्टर।
- 10 संबंधित कोषाधिकारी।
- 11 संबंधित अभियोजक।
- 12 सहायक लेखाधिकारी, प्रथम, विधि(वादकरण) विभाग।
- ✓ 13 एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, विधि विभाग को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
- 14 रक्षित पत्रावली।

24-07-26
शासन सचिव, विधि

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक: प.8(27)राज/वाद/24पार्ट-II

जयपुर, दिनांक 24/7/2026

:: आदेश ::

राजस्थान सती (निवारण) अधिनियम, 1987 की धारा 10 के अनुसार श्री प्रकाश शर्मा, अधिवक्ता (एनरोलमेन्ट नं0 आर/2142/2000) को उक्त अध्यादेश के अधीन गठित विशेष न्यायालय (सती निवारण) जयपुर महानगर-द्वितीय में राज्य सरकार की ओर से पैरवी करने हेतु विशिष्ट लोक अभियोजक (सती निवारण) जयपुर महानगर-द्वितीय के रिक्त पद पर मासिक रिटेनरशिप रुपये 24,200/- प्रतिमाह (निश्चित) पर एक वर्ष या अग्रिम आदेशों तक, जो भी पहले हो तक, के लिए नियुक्त किया जाता है।

नोट:- उक्त अधिवक्ता की नियुक्ति माननीय राज0 उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ, जयपुर में विचाराधीन एस0बी0सिविल रिट पिटीशन सं0 10856/2025 रजनीश कुमार बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अध्यधीन रहेगी।

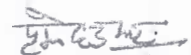
आज्ञा से



(प्रमोद कुमार मलिक)
शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
- 2 संयुक्त सचिव (एसएस), मुख्यमंत्री कार्यालय।
- 3 विशिष्ट सहायक, माननीय विधिमंत्री महोदय।
- 4 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, विधि।
- 5 महाधिवक्ता, राजस्थान, जयपुर।
- 6 राजकीय अधिवक्ता मय अतिरिक्त महाधिवक्ता, जयपुर/जोधपुर।
- 7 संबंधित जिला एवं सेशन न्यायाधीश।
- 8 संबंधित न्यायालय।
- 9 संबंधित जिला कलक्टर।
- 10 संबंधित कोषाधिकारी।
- 11 संबंधित अभियोजक।
- 12 सहायक लेखाधिकारी, प्रथम, विधि(वादकरण) विभाग।
- ✓ 13 एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, विधि विभाग को वेबसाइट पर अपलोड करने।
- 14 रक्षित पत्रावली।



शासन सचिव, विधि 24.7.26